भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1599
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

विदेश में चिकित्सा अध्ययन करने वाले विद्यार्थी

1599. श्री एंटो एन्टोनी:
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान विदेशों में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की देश-वार, वर्ष-वार संख्या कितनी है और वे किस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित हैं;
(ख) सरकार द्वारा विदेशों में पढ़ रहे ऐसे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का युद्धग्रस्त देशों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भारतीय चिकित्सा संस्थानों में अंतरित करने अथवा लैटरल एंट्री प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार के पास यूरोप के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'अकादमिक-गतिशीलता कार्यक्रम' और 'अकादमिक-स्थानांतरण कार्यक्रम' के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले यूक्रेन से लौटे छात्रों की संख्या से संबंधित कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड) शैक्षिक-गतिशीलता-कार्यक्रम और अकादमिक- स्थानांतरण-कार्यक्रम के बीच अंतर का ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक अकादमिक-अंतरण कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक ऋणों के अनुरोधों को अस्वीकार कर रहे हैं; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (छ): विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विदेशों में लगभग 1.2 मिलियन भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा संबंधी सभी पाठ्यक्रम शामिल हैं। तथापि, विदेशों में चिकित्सा मेडिकल कोर्स कर रहे भारतीय छात्रों का विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, आप्रवासन ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2017 से 2022 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन/शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या निम्नवत है:

वर्ष	2017	2018	2019	2020	2021	2022
संख्या	4,54,010	5,18,015	5,86,337	2,59,655	4,44,553	7,50,365

इंडियन मिशन विभिन्न देशों में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, स्थानीय प्रशासन, विश्वविद्यालयों/संस्थानों सहित संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में हैं।

विदेशी मेडिकल छात्रों / स्नातकों को या तो "स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन्स 2002" या "फ़ोरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंससिएट रेगुलेशन्स, 2021" के तहत कवर किया जाता है। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के साथ-साथ विनियमों में किसी भी विदेशी चिकित्सा संस्थान से भारतीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल छात्रों को समायोजित करने या स्थानांतरित करने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनएमसी द्वारा किसी भी भारतीय चिकित्सा संस्थान/विश्वविद्यालय में किसी भी विदेशी मेडिकल छात्र को स्थानांतरित करने या समायोजित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने एक योजना तैयार की है जिसके तहत भारतीय छात्र जो अपने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे (कोविड-19, रूस-यूक्रेन संघर्ष आदि के कारण जिन्हें अपना विदेशी चिकित्सा संस्थान छोड़ना पड़ा) और बाद में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और साथ ही जिन्हें दिनांक 30 जून, 2022 को या उससे पहले संबंधित संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम/डिग्री पूरी करने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है, को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा में बैठने की अनुमति है। इसके बाद, एफएमजी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, ऐसे विदेशी चिकित्सा स्नातकों को नैदानिक प्रशिक्षण की भरपाई करने के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप (सीआरएमआई) से गुजरना आवश्यक है, जिसमें वे विदेशी संस्थान में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के दौरान शारीरिक रूप से भाग नहीं ले सके और साथ ही उन्हें भारतीय परिस्थितियों में चिकित्सा संबंधी परिपाटियों से परिचित कराया जा सके। विदेशी मेडिकल स्नातकों को दो वर्षों का सीआरएमआई पूरा करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलता है।

विदेश मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, कीव स्थित भारतीय दूतावास ने छात्रों को सुचारू रूप से प्रतिलिपि और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए यूक्रेन के सभी संबंधित विश्वविद्यालयों से संपर्क किया है। इससे संबंधित मुद्दों का हल करने के लिए छात्रों की सहायता करने हेतु दूतावास की वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध हैं।

एनएमसी ने यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम पर अपनी अनापत्ति की सूचना देते हुए पब्लिक नोटिस जारी किए हैं, अर्थात पब्लिक नोटिस में उल्लिखित 29 देशों में से किसी एक में लागू अन्य विश्वविद्यालयों को (संघर्ष की अवधि के लिए) अस्थायी स्थानांतरण। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एकेडमिक ट्रांसफर प्रोग्राम के तहत कुल 3,964 भारतीय मेडिकल छात्रों को प्रवेश मिला है। इसके अलावा, लगभग 170 छात्रों ने एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत खुद को नामांकित किया है। एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम विभिन्न देशों में अन्य विश्वविद्यालयों में एक अस्थायी स्थानांतरण है जबकि एकेडमिक ट्रांसफर प्रोग्राम एक ही देश या एक अलग देश में पूरी तरह से एक नए मेडिकल कॉलेज में एक स्थायी स्थानांतरण है।

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एकेडमिक अंतरण कार्यक्रम अथवा एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत शैक्षिक ऋण के अनुरोध से इंकार करने का कोई मामला नहीं है।

*****